

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये आवश्यक निर्देश-

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में प्रतिदिन जनसुनवाई की जा रही है, जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 26.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावती प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।



थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु सार्वजनिक स्थान में संचालित अवैध सट्टा एवं जुआ में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री उमेश चन्द्र, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित टीम उ.नि. अर्जुन प्रसाद पटेल के द्वारा मु० भैरोगंज कस्बा श्रीनगर से 04 नफर अभियुक्तगण 1.लालता कुशवाहा पुत्र बृजलाल उम्र 52 वर्ष 2.महिपत पुत्र भगवानदास उम्र 24 वर्ष 3.राजू कुशवाहा पुत्र रामेश्वर उम्र 32 वर्ष 4. मुकेश कुमार पुत्र कंधी अनुरागी उम्र 23 वर्ष को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुये नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से मालफड व जामा तलाशी 1935 रुपये व 52 अदद ताश पत्ता बरामद हुये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 191/23 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ.नि. अर्जुन प्रसाद पटेल 2. उ०नि० विकास धर दुबे 3. का० शैलेश कुमार 4. का० मो० इरफान 5. का० रामनाथ गौतम 6. का० विपिन कुमार

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.लालता कुशवाहा पुत्र बृजलाल उम्र 52 वर्ष 2.महिपत पुत्र भगवानदास उम्र 24 वर्ष 3.राजू कुशवाहा पुत्र रामेश्वर उम्र 32 वर्ष निवासीगण मु० भैरोगंज कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा 4.मुकेश कुमार पुत्र कंधी अनुरागी उम्र 23 वर्ष नि० मु० मनोहरगंज कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा



थाना कबरई की पुलिस टीम ने 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अवैध गांजा की बिक्री एवं तस्करी तथा उसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक 26.09.2023 को थाना कबरई प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम उ०नि० श्री रमाकान्त शुक्ल के द्वारा एक नफर अभियुक्त अजय कुमार उदेहिया पुत्र राधेश्याम उदेहिया उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम सिंघनपुर बघारी थाना कबरई जनपद महोबा को कालका देवी मंदिर गेट के सामने तिराहे से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कबरई पर मु०अ०सं० 259/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद गिरफ्तारी अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा जायेगा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री रमाकान्त शुक्ल
2. हे०कां० रनवीर सिंह तोमर
3. कां० नरेन्द्र बाबू

गिरफ्तार अभियुक्त-

अजय कुमार उदेहिया पुत्र राधेश्याम उदेहिया उम्र 40 वर्ष नि०ग्राम सिंघनपुर बघारी थाना कबरई जनपद महोबा

बरामदगी-

01 किलो 200 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद होना ।



थाना चरखारी पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु अवैध शस्त्रों की बिक्री एवं उनके निर्माण में प्रभावी रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 26.09.2023 को प्रभारी थाना चरखारी श्री मधुरेश त्रिपाठी द्वारा टीम का गठन किया गया। गठित टीम के उ.नि.हरिशंकर यादव द्वारा 01 नफर अभियुक्त इरफान पुत्र सुलेमान उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम गोरखा थाना चरखारी जनपद महोबा को जतौरा मोड़ के पास ग्राम रिवाई से एक अदद तमंचा अवैध 315 बोर व एक अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 194/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 हरिशंकर यादव
2. हे0का0 प्रदीप कुमार
3. का0शिवकुमार थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

इरफान पुत्र सुलेमान उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम गोरखा थाना चरखारी जनपद महोबा बरामदगी-

एक अदद तमंचा/कारतूस व खोखा अवैध 315 बोर बरामद।



साइबर अपराध से बचाव हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा की पहल पर “ऑपरेशन ज्ञान कवच” अभियान के तहत जनपदीय साइबर सेल की पुलिस टीम ने थाना चरखारी महोबा क्षेत्र अन्तर्गत “ग्राम-सालट” में जागरुकता चौपाल लगाकर साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा के प्रति किया जागरुक, वितरित किये जागरुकता पम्पलेट्स-

बढ़ते हुये साइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा की पहल पर साइबर अपराध से बचाव हेतु अभियान “ऑपरेशन ज्ञान कवच” चलाया जा रहा है, ऑपरेशन ज्ञान कवच अभियान के तहत जनपदीय साइबर सेल पुलिस टीम क्रमशः हे.कां. भूपेन्द्र सिंह, कां. शैलेन्द्र प्रताप सिंह, कां. सत्यम सिंह व कां. सुरजीत कुमार द्वारा थाना चरखारी महोबा क्षेत्र अन्तर्गत “ग्राम सालट” में जाकर “ऑपरेशन ज्ञान कवच” अभियान के अन्तर्गत साइबर जागरुकता चौपाल का आयोजन कर ग्राम वासियों के साथ संवाद कर साइबर अपराध एवं उनकी रोकथाम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई एवं सभी को साइबर जागरुकता पम्पलेट्स वितरित की गईं। साइबर सेल पुलिस टीम ने “ऑपरेशन ज्ञान कवच” अभियान के तहत साइबर अपराध से बचाव के तरीके में बताया कि किस तरीके से साइबर ठग सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, आधार वैरिफिकेशन के नाम पर ठगी, किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर ठगी, एटीएम फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड/यूपीआई फ्रॉड, ऑनलाइन लॉटरी/ईनाम, शॉपिंग ऐप्स, गूगल सर्च में थोड़ी सी चूक पर गलत वेबसाइट में क्लिक हो जाने, एनीडेस्क क्विक सपोर्ट जैसे रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर भेजे गये लिंक के माध्यम से साइबर ठगी का शिकार बनाते हैं। इसके अतिरिक्त युवाओं में आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे- फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, शेयरचैट व व्हाट्सएप से संबंधित होने वाले विभिन्न अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी इनके बचाव के तरीकों को बताया गया साथ ही इस संबंध में उनसे अपील की गई कि अपने पारिवारिक जनों

व पास-पड़ोस के लोगों को भी साइबर अपराध के तरीकों व इनसे बचाव के तरीकों के संबंध में जागरुक करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ रहे साइबर अपराध से बचाया जा सके।

यदि किसी के साथ वित्तीय साइबर फ्रॉड होता है तो तुरंत www.cybercrime.gov.in/ साइबर सेल /संबंधित थानों पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं ताकि शीघ्र कार्यवाही कर आपकी मदद की जा सके।



**पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनपद के समस्त GO's;
SHO's/SO's व समस्त चौकी प्रभारियों के साथ गूगलमीट कर
आगामी त्यौहारों, प्रचलित अभियानों, अपराध नियंत्रण के सम्बन्ध में
समीक्षा कर अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए गए।**

दिनांक 26.09.2023 की सायंकाल को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों सहित समस्त थाना प्रभारी/चौकी प्रभारियों के साथ गूगल मीट के माध्यम से गोष्ठी का आयोजन कर सम्बन्धित को आगामी त्यौहारों, प्रचलित अभियानों के सम्बन्ध में समीक्षा की गई साथ ही मा0 मुख्यमंत्री उ.प्र. द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा आगामी त्यौहारों यथा- गणेश चतुर्थी, बारवफात आदि त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु की गयी तैयारियों/पुलिस प्रबन्ध की समीक्षा कर अराजकतत्वों पर पैनी नजर रख उनपर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में प्रचलित अभियान यथा- मिशन शक्ति, ऑपरेशन दृष्टि/त्रिनेत्र, ऑपरेशन कनविकशन इत्यादि के सम्बन्ध में बिन्दुवार समीक्षा कर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के सख्त निर्देश दिये गये, इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में विगत 02 वर्षों में घटित अपराधों की समीक्षा कर सम्बन्धित शांति अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये, साथ ही जनपद में शान्ति/कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया कि साम्प्रदायिक हिंसा/अफवाह फैलाने वाले एवं आपत्तिजनक पोस्ट/टिप्पणी करने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत बालिकाओं एवं महिलाओं को महिला अधिकारों/महिला सुरक्षा के सम्बन्ध में किया जा रहा है जागरूक-

महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा हेतु उ.प्र. शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से महिलाओं को अवगत कराए जाने एवं अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर आज दिनांक 27.09.2023 को महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा एवं जागरूकता के दृष्टिगत चलाए जा रहे “मिशन शक्ति अभियान” के अंतर्गत जनपद के थानों में नियुक्त महिला बीट पुलिस अधिकारी (शक्ति दीदी) द्वारा सम्बन्धित बीट क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से चौपाल लगाकर शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे-शक्ति मोबाइल, महिला हेल्पडेस्क, महिला साइबर सेल, मातृत्व को सम्बल, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मातृ वंदना योजना आदि के साथ-साथ महिला अपराध से सम्बन्धित धाराओं एवं उनकी प्रक्रिया, विभिन्न हेल्पलाइन नं. (112,1090,181,108,1076,1098) इत्यादि की जानकारी से जागरूक किया जा रहा है साथ ही साथ क्षेत्र की सम्भ्रान्त महिलाओं, आशा बहुओं, ए0एन0एम0, शिक्षामित्र, आंगनवाणी कार्यकर्त्री का व्हाट्सअप ग्रुप बनाकर उनसे निरंतर संवाद बनाये रखते हुये क्षेत्र की पीडित महिलाओं/बालिकाओं की समस्याओं का शतप्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।



थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.09.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम उ0नि0 शेर आलम खाँ के द्वारा चेकिंग संदिग्ध/व्यक्ति के दौरान 01 नफर अभियुक्त जमाल पुत्र इम्मा उम्र करीब 35 वर्ष निवासी मुहल्ला कसौड़ाटोरी थाना कोतवाली नगर महोबा के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये बड़ी चन्द्रिका के पास बनी पुलिया के पास मुहल्ला कठकुलवा से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा पर मु0अ0सं0- 444/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ.नि. शेर आलम खाँ प्रभारी चौकी मनियादेव थाना कोतवाली नगर महोबा
- 2.उ.नि. सनय कुमार प्रभारी चौकी सुभाष थाना कोतवाली नगर महोबा
- 3.कां0 विनोद कुमार गौतम 4.कां0 राजू राठौर

गिरफ्तार अभियुक्त व बरामदगी,आपराधिक विवरण-

अभियुक्त जमाल पुत्र इम्मा निवासी मुहल्ला कसौड़ाटोरी थाना कोतवाली नगर महोबा उम्र करीब 35 वर्ष के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज सम्बन्धित मु0अ0सं0- 444/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली नगर महोबा



महोबा पुलिस